

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 83/2024 अन्तर्गत धारा 88, 251क आरटीएक्ट

जरीना पत्नी मुमताज जाति कुम्हार निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

1. बृजलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादीया  
श्री विनोद राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 26.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 32 आर. डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 217/447(20) के किला नम्बर 1/5, 1/6, 10/2, 11/2 की 0.3790 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई कृषि भूमि का दर्ज गलत नक्शा को दूरस्त कर उसके स्थान पर चक 32 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 217/447(20) के किला नम्बर 1/5, 1/6, 10/2, 11/2 की 0.3790 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई व चक 32 आर.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 90/85 के पत्थर नम्बर 217/447(20) के किला नम्बर 1/3 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 1/4 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.1260 हैक्टेयर कृषि भूमि को पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण दिशा का नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा बाद दुरुस्ती चक नम्बर 32 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 217/447(20) के किला नम्बर 1/5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.0130 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/2 की 0.0130 हैक्टेयर पूर्वी पासा उतर से दक्षिण कुल 0.0390 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.11.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

